सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1808/JH/26/2023-ESDW-RU--I

दिनांक: 13.05.2025

सेवा में,

श्री संजय अरोरा
पुलिस आयुक्त,
पुलिस आयुक्त का कार्यालय,
दिल्ली पुलिस मुख्यालय,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली,
नई दिल्ली, दिल्ली 110001
Email Id: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in

विषय: प्लॉट एवं पैसा दिलाने के संबंध में सुश्री रीना कुमारी, सुपुत्री श्री झिरगा उरांव , मकान नं .1811, चौथी मंजिल, ज्ञानी बाज़ार, डी .डी .ए .पार्क के पास, कोटला मुबारक पुर, नई दिल्ली से दिनांक 22.05.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट/ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि

भवदीय

Yadav
13.5.25

(योगेन्द्र प्रसाद यादव (Y.P.Yadav)
उप सचिव /Deputy Secretary
ईमेल : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

सुश्री रीना कुमारी
सुपुत्री श्री झिरगा उराव,
1811, गैयानी बाज़ार, डी डी ए पार्क के पास,
प्लोर कोटलो मुबारक पुर,
नई दिल्ली -110003
मोबाइल नं:.7042313445

NIC

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
फा. सं. NCST/DEV-1808/JH/26/2023-ESDW

प्लॉट एवं पैसा दिलाने के संबंध में सुश्री रीना कुमारी सुपुत्री श्री झिरगा उराव, 1811, गैयानी बाज़ार, डी डी ए पार्क के पास, प्लोर कोटलो मुबारक पुर नई दिल्ली की शिकायत पर आयोग द्वारा आयोजित सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग की तिथि एवं समय : 26.03.2025 को 02:40 बजे अपराह्न
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-। के अनुसार।

शिकायत दिनांक 22.05.2023 रीना कुमारी से आयोग को प्राप्त हुए है जिसमे उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने नंद गोपाल रियलटेक प्रा. लि. से फरीदाबाद, हरियाणा में प्लॉट संख्या 43 (54 गज) खरीदा था, जिसके लिए उन्होंने कुल ₹4,01,000/- का भुगतान किया। लेकिन नितिन सिंघला और रमेश वर्मा द्वारा जमीनदार को भुगतान न करने के कारण उनकी जमीन वापस ले ली गई। जब उन्होंने अपनी जमीन वापस मांगी, तो उन्हें जातिसूचक शब्द कहकर गाली दी गई। नितिन सिंघला ने पहले प्लॉट या पैसा लौटाने का वादा किया, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। अतः उन्होंने न्याय दिलाने एवं नितिन सिंघला से उनका प्लॉट या पैसा वापस दिलाने की गुहार लगाई है।

2. आयोग द्वारा उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले में रिपोर्ट मांगने हेतु पुलिस आयुक्त, दिल्ली को नोटिस दिनांक 19.06.2023 को भेजा गया।
3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में पुलिस आयुक्त, दिल्ली से कोई जवाब प्राप्त न होने पर, आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 03.10.2023 को सुनवाई आयोजित की। इस सुनवाई के पश्चात, आयोग ने संबंधित अधिकारियों को कार्यवृत भेजे, और आयोग की अनुशंसाओं के संबंध में उपायुक्त, दक्षिणी जिला, दिल्ली से 05.01.2024 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट संतोषजनक न पाए जाने पर, आयोग ने पुनः 26.03.2025 को सुनवाई निर्धारित की, जिसके लिए तदनुसार सिटिंग नोटिस जारी किए गए।
4. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पूर्व जिला) और सहायक पुलिस आयुक्त (बदरपुर) आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, साथ ही शिकायतकर्ता भी आयोग के समक्ष उपस्थित थे।
5. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

    i. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पूर्व जिला) और सहायक पुलिस आयुक्त (बदरपुर) शिकायतकर्ता के साथ समन्वय स्थापित कर **एक समय निर्धारित कर मिलें**, उनसे सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करें एवं उनसे मामले के बारे में विस्तृत जानकारी लें, और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

इस मामले की जांच रिपोर्ट आयोग को 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा
22/04/2025
(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्या
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-1808/JH/26/2023-ESDW-RU-IV

Sitting to be held on **26.03.2025 at 02:40 P.M** - प्लॉट एवं पैसा दिलाने के संबंध में सुश्री रीना कुमारी, सुपुत्री श्री झिरगा उरांव , मकान नं. 1811, चौथी मंजिल, ज्ञानी बाज़ार, डी. डी. ए. पार्क के पास, कोटला मुबारक पुर, नई दिल्ली से दिनांक 22.05.2023 का अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.			
3	H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
6.			
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Commissioner of Police, Delhi Police**		
1.	HARSH INDORA Addl. DCP / SOUTH EAST DIST	DCP Office SOUTH EAST, DELHI POLICE	
2.	RAM PHOOL MEENA ACP / Badarpur	ACP / Badarpur 8750870908	
3.			
4.			
5.			
III	**Petitioners**		
1.	Reena Kumari	7042313445	
2.			